न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड़ जिला—बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण कमांक 191/2015 संस्थन दिनांक 23.04.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड, जिला–बड़वानी (म.प्र.)

----अभियोगी

<u>विरूद्ध</u>

1. रणजीत पिता भंवरसिंह निगवाल, आयु 22 वर्ष, निवासी गठबोरी, थाना बाग,जिला—धार (म.प्र.)

----अभियुक्त

राज्य द्वारा — श्री श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.। अभियुक्त द्वारा — श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

/ <u>/ निर्णय</u> / / <u>(आज दिनांक 23.12.2017) को घोषित</u>)

- 01. पुलिस थाना अंजड के अपराध क्रमांक 21/2015 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 379 का अपराध इस आधार पर विचारणीय हैकि, आरोपी ने दि0 26.01.2015 को रात्रि लगभग 8:00 बजे मॉडन बुट हाऊस के सामने अंजड में फरियादी मेहबूब के आधिपत्य से हिरो होण्डा सिडी डिलक्स मोटरसाईकिल नंबर एम0पी0 46 एम0डी0 1809 की चोरी की हैं।
- **02.** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि,आरोपी को पुलिस ने गिरफतार किया था ।
- 03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 26.01.2015 को फरियादी मेहबूब ने थाना अंजड में यह रिपोर्ट प्र0पी0 1 कि, उसने सन् 2011 में हिरो होण्डा सिडी डिलक्स ब्लयू / ब्लैक कलर की खरीदी थी जिसका नंबर एम0पी0 46 एम0डी0 1809 था तथा जिसका इंजन नंबर एच.ए.11ई.डी.बी. 9 जी.ओ. 7604 व चेचिस नंबर एम.बी.एच.ए. 11 ई.आर.बी.9 जी.ओ. 4204 है जो दिनांक 26.01.2015 को उसने अपनी दुकान के पास माडन बूट हाऊस के सामने शाम को खडी की थी बाद में घर जाने के लिये दुकान से निकला व देखा तो उसकी मोटर साईकिल वहां पर नहीं थी। जिसकी तलाश उसने आसपास की लेकिन नहीं मिली थी फिर उसने थाना अंजड पर

रिपोर्ट लिखायी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर अपराध कं0 21/15 दर्ज कर आरोपी को संदेह के आधार पर थाना कुक्षी में गिरफ्तार करके उसकी सूचना के आधार पर चोरी की सम्पत्ति उक्त मोटरसाईकिल उसके आधिपत्य से जप्त की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया हैं।

- **04.** अभियोग पत्र के आधार पर आरोपी रणजीत के विरूद्ध 379 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर आरोपी को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द०प्र०सं० के परीक्षण में आरोपी ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।
- 05. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है कि :--
 - 1. क्या दिनांक 26.01.2015 को समय रात्रि 8:00 बजे,स्थान मॉडन बुट हाऊस के सामने,अंजड में फरियादी मेहबूब के आधिपत्य की हीरो होण्डा सीडी डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 46 एम0डी0 1809 की चोरी हुयी थी?
 - 2. क्या उक्त चोरी आरोपी ने की थी?
- 6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मेहबूब (अ.सा.1),मोहसीन (अ.सा.2),राजू (अ.सा.3),कैलाश (अ.सा.4) एवं बी.एस. परिहार (अ.सा.5) के कथन लेखबद्व कराए गये हैं, जबिक आरोपी की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में मेहबूब (अ.सा.०1) का कथन है कि, ह
 ाटना दि० 26.01.15 को उसने अपनी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स
 मोटरसाईकिल कमांक एम०पी० 46 एम०डी० 1809 को दुकान के पास खडी की थी बाद
 में घर जाने के लिये दुकान से निकला तो उसे अपनी मोटरसाईकिल नहीं मिली ।
 उसने मोटरसाईकिल की तलाश करने के बाद अगले दिन थाना अंजड पर प्र०पी० 1
 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने नक्शा
 मौका प्र०पी० 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बाद में
 उसने मोटरसाईकिल को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर प्राप्त की थी।
- 8. मोहसीन (अ.सा.02) ने भी अपने भाई मेहबूब की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 46 एम0डी0 1809 को उसकी दुकान के सामने से चोरी होने के संबंध में कथन किये है। निलेश आसा0 6 ने दि0 27. 01.2015 को थाना अंजड में फरियादी मेहबूब निवासी जाट कॉलोनी अंजड की सूचना के आधार पर उसकी हीरो होण्डा सीडी डिलक्स मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 46 एम0डी0 1809 चोरी होने की रिपोर्ट प्र0पी0 1 दर्ज करने के संबंध में कथन किये

//3// आपराधिक प्रकरण कमांक 191/2015

है। उक्त किसी भी साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि,फरियादी की उक्त मोटरसाईकिल चोरी नहीं गयी थी। ऐसी स्थिति में प्रतिपरीक्षण के अभाव में यह प्रमाणित होता है कि, फरियादी मेहबूब की उक्त हीरो होण्डा सीडी डिलक्स मोटरसाईकिल कमांक एम0पी0 46 एम0डी0 1809 की चोरी हुयी थी।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में बी०एस० परिहार (अ.सा.०५) का कथन है कि, दि0 23.02.2015 को वह थाना कुक्षी पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने आरोपी रणजीत को थाना बाग के अपराध में गिरफतार किया था। आरोपी से उसने पछताछ की थी तो उसने कुछ मोटरसाईकिल दिलीप और कैलाश को बेचना बताया तथा जप्ती करना बताया था जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 का उसने बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी रणजीत के बताये स्थान बाबू भीलाला के घर से एक हीरो होण्डा मोटरसाईकिल सिडी डिलक्स काले रंग की साक्षियों के समक्ष जप्ती की थी जिसका जप्ती पंचनामा प्र0पी 4 का उसने बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने थाना कक्षी के रोजचनामा दि० 23.02.15 से दि० 23.02.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में पेश की है। बचाव पक्ष की ओर किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि. प्र0पी03 का मेमोरेण्डम उसने दोपहर में 2:05 बजे बनाया था, और जप्ती पंचनामा प्र0पी0 4 में जप्ती का समय डी से डी भाग पर सुबह 9:00 बजे लिखा है। साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया है कि, राजु और कैलाश उक्त दिनांक को थाने पर क्यों आये थे लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, उसने आरोपी से कोई मेमोरेण्डम नहीं लिया था अथवा उससे कोई जप्ती नहीं की है।
- 10. राजु (अ.सा.०३) ने आरोपी को पहचाने और उसके सामने आरोपी से कोई भी पूछताछ करने या जप्ती करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि, दो वर्ष पूर्व वह कुक्षी थाने पर गया था तब पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर है जो प्र0पी० ३ व 4 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है इस साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि, आरोपी ने दिलीप और कैलाश को मोटरसाईकिल बेचने के संबंध में पुलिस को कथन दिया था अथवा पुलिस ने उसके सामने आरोपी से सिडी डिलक्स मोटरसाईकिल जप्त की थी अथवा वह आरोपी से मिलकर उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है।
- 11. कैलाश (अ.सा.04) का कथन है कि, वह आरोपी रणजीत को जानता है लगभग 2 वर्ष पूर्व वह अपने काम से थाने गया था तब पुलिस ने उसे बताया था कि, उन्होंने आरोपी रणजीत को चोरी के मामले में गिरफतार किया है और से थाना कुक्षी पर एक मोटरसाईकिल उसके सामने जप्त की थी तथा उसे पंचनामों पर हस्ताक्षर करवाये थे साक्षी ने प्र0पी0 3 व 4 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि, पुलिस ने उसके सामने आरोपी रणजीत के कब्जे से एक मोटरसाईकिल सिडी डिलक्स जप्त की थी लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि,आरोपी ने उसके सामने दिलीप

और कैलाश को जो मोटरसाईकिल बेची है उसके संबंध में पुलिस को कथन दिये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, पुलिस ने रणजीत से उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की है लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, पुलिस गाडी चोरी की होना बता रही है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, पुलिस ने उसे थाने पर आरोपी रणजीत से नहीं मिलवाया था।

- 12. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क किया है कि, आरोपी के मेमोरेण्डम और जप्ती पंचनामें के साक्षीगण पक्ष विरोधी रहे है। ऐसी स्थित में आरोपी के विरूद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- यह सही है कि, जप्ती पंचनामें का साक्षी राजु (अ.सा.०३) पूर्णतः पक्ष विरोधी रहा है और उसने प्र0पी0 3 तथा 4 पर अपने हस्ताक्षरों के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये है। कैलाश (अ.सा.०४) ने भी पृलिस थाना कुक्षी द्वारा आरोपी को चोरी के मामले में गिरफतार करना और आरोपी से चोरी की मोटरसाईकिल उसके सामने जप्त करना मुख्य परीक्षण में बताया है लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी द्वारा जप्ती करवाने के संबंध में मेमोरेण्डम देने से इंकार किया है, लेकिन जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी श्री बी०एस० परिहार (अ.सा.०५) ने आरोपी रणजीत को थाना बाग जिला धार के अन्य प्रकरणों में गिरफतार करने और उसकी सूचना के आधार पर हीरो होण्डा सिडी डिलक्स मोटरसाईकिल प्र0पी० ४ के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये है जिसका कोई भी खंडन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है तथा उक्त जप्त की गयी मोटरसाईकिल का इंजन नंबर और चेचिस नंबर वही है जो कि, फरियादी मेहबूब (अ.सा.०1) की चोरी गयी मोटरसाईकिल का है। यहां तक की उक्त साक्षी ने अपने द्वारा आरोपी रणजीत के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के संबंध में थाने का रोजनामचां दिनांक 23.02.15 से दि0 24.02.15 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश की है जिसका भी कोई खंडन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।
- 14. बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित हो कि,जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी श्री बी०एस० परिहार (अ.सा.०५) ने आरोपी के विरूद्ध असत्य कार्यवाही की है या आरोपी से उनकी कोई रंजीश है माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत करमजीतिसंह विरूद्ध स्टे देहली एडिमिनिशट्रेशन,(2003) 5 एस.सी.सी. 297 यह सिद्धांत प्रतिप्रादित किया है कि, पुलिस अधिकारी की साक्ष्य को भी अन्य साक्षियों की तरह विचार में लेना सही है यदि उसके कथन विश्वसनीय हो तो उसके एक मात्र कथन के आधार पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है।
- 15. जप्ती और मेमोरेण्डम के दोनो साक्षियों ने मेमोरेण्डम और जप्तीपंचनामा प्र0पी0 3 व 4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है। साक्षियों का यह कथन नहीं है कि, उक्त हस्ताक्षर उनसे दबाव डालकर करवाये गये थे। ऐसी स्थिति में यह उप धारणा की जा सकती है कि, प्र0पी0 3 व 4 के अनुसार आरोपी के मेमोरेण्डम और जप्ती की कार्यवाही उनके सामने ह्यी है। चोरी की सम्पत्ति उक्त मोटरसाईकिल आरोपी के

//5// आपराधिक प्रकरण कमांक 191/2015

आधिपत्य से जप्ती हुयी है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण बचाव पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत के अनुसार योग धारणा की जा सकती है कि, आरोपी द्वारा उक्त चोरी की सम्पत्ति मोटरसाईकिल की चोरी की गयी है।

- 16. प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह युक्तयुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि, आरोपी ने दि० 26.01.2015 को रात्रि लगभग 8:00 बजे मॉडन बुट हाउस अंजड से फरियादी की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सिडी डिलक्स नंबर एम0पी० 46 एम0डी० 1809 उसकी अनुमति के बिना बेईमानी से चोरी की हैं। जोकि भादसоं की धारा 379 का अपराध है जिसे अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी रणजीत पिता भंवरसिंह निगवाल निवासी गठबोरी थाना बाग को भादसं० की धारा 379 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।
- 17. प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति तथा समाज में बढ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुये आरोपी को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनाने के लिये निर्णय लेखन स्थिगत किया गया।

सही / –

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्ये) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला—बडवानी, म0प्र0

पुनश्च:-

- 18. सजा के प्रश्न पर आरोपी और उसके विद्ववान अधिवक्ता को सुना गया । उनका निवेदन है कि, आरोपी घटना के समय लगभग 20—21 वर्ष का नवयुग था तथा छः माह से अधिक समय से अभिरक्षा में है। अतः सहानुभृति पूर्वक विचार किया जाये।
- 19. यह सही है कि, आरोपी इस प्रकरण में दि० 07.07.2017 से निरंतर अभिरक्षा में है इसके पूर्व भी वह अभिरक्षा में रहा है ऐसी स्थित में आरोपी की आयु और उसके निरोध की अविध को देखते हुये उसे और अधिक कारावास से दिण्डत करना उचित प्रतित नहीं होता है अतः आरोपी रणजीत पिता भंवरसिंह निवासी गठबोरी थाना बाग को भादसं० की धारा 379 में दोषी ठहराते हुये। छः माह के सश्रम कारावास से दिण्डत करता है। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 07.03.2015 से लेकर दि. 09.03. 2015 से पुलिस अभिरक्षा में रहा है तथा दि० 10.03.2015 से लेकर दि० 25.04.2015 तक तथा दि० 07.07.2017 से लेकर आज दिनांक 23.12.2017 तक न्यायिक निरोध में है। अतःउक्त अविध कारावास में से समायोजित की जाये। उक्त अनुसार द०प्र०सं० की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

20. निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क दी जाये।

21. प्रकरण में जप्त सम्पत्ति हिरो होण्डा सिडी डिलक्स मोटरसाईकिल कं0 एम0पी0 46 एम0डी 1809 आवेदक / सुपुर्दगीदार मेहबूब खांन पिता फजलु रहमान निवासी अंजड जिला बडवानी को सुपुर्दगीनामें पर दी है, उक्त सुपुर्दगीनामा आपील अवधि पश्चात् भारमुक्त किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / –

सही/-

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0 (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0